(63)

न्यायालय आयुक्त कार्यालय, कोशी प्रमंडल, सहरसा।

ज्ञापांक 2899 /विधि सहरसा, दिनांक 29-9-2023

प्रतिलिपिः– भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, निर्मली, सुपौल को आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा द्वारा भूमि विवाद अपीलवाद सं0–12/2019 में दिनांक–27.09.2023 को पारित आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित किया जाता है साथ ही उनसे प्राप्त निम्न न्यायालय भूमि विवाद निराकरण वाद सं0–58/2012–13 से संबंधित अभिलेख कुल–120 पन्ना मूल में वापस किया जाता है।

अनुलग्नक :–यथोपरि।

प्रतिलिपिः– जगिया देवी, पति–चलितर कामत / चुल्हाई कामत, पिता–स्व0 सतन कामत सभी सा0+पो0+थाना–कुनौली, जिला–सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई0टी0 असिस्टेंट, कोशी प्रमंडल, सहरसा को आदेश की प्रति संलग्न करते हुए प्रमंडलीय बेवसाईट पर अपलोड कर वापस करने हेतु प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी, विधि
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

अनुसूची १४-फारम सं०-४६२

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२९)

आदेश पत्रक - ता०..से...तक

जिला..., सं०..., सन् १९..............................

केस का प्रकार..

आदेश की क्रम संख्या किस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख-सहित ३
27/09/2023	**न्यायालय, आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा** **भूमि विवाद अपील वाद संख्या:-12/2019** **जगिया देवी..........................अपीलकर्त्ता** **-बनाम-** **चुल्हाय कामत............................ रेसपॉण्डेन्ट** **-:: आदेश ::-** प्रस्तुत भूमि विवाद अपीलवाद जगिया देवी, पति-चलितर कामत, सा0+पो0+थाना-कुनौली, जिला-सुपौल के द्वारा न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, निर्मली (सुपौल) के भूमि विवाद वाद सं0-58/2012-13 में दिनांक-16.02.2019 को पारित आदेश के विरूद्ध लाया गया है। वाद की सुनवाई से अपीलार्थी के लगातार अनुपस्थित रहने से ऐसा प्रतीत होता है कि वाद के अन्तिम निष्पादन में उनकी कोई रूचि नहीं है। अतः Dismiss for default के कारण वाद को खरिज किया जाता है। इसी के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। इसकी सूचना सभी संबंधितों को देते हुए निम्न न्यायालय से प्राप्त संचिका कार्यालय को वापस करें। 27/9/23 प्रमंडलीय आयुक्त। कोशी प्रमंडल, सहरसा लेखापित एवं संशोधित। 27/9/23 प्रमंडलीय आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा।	